

“कार्यालय नगर पालिका परिषद, रायबरेली”

संख्या : 169 / न0पी0परि0 / स्वा0 / 2019-20

दिनांक : 04-6-19

सार्वजनिक सूचना

सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद रायबरेली द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्राविधान अन्तर्गत परिषद के समस्त 34 वार्डों में स्थित सभी प्रकार के भवनों/दुकानों/क्लीनिक/नर्सिंगहोम/निजी विद्यालयों आदि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किये जाने हेतु परिषद की ओर से निम्नवत् यूजर चार्ज प्रस्तावित किया गया है जिसका विनिम्नवत् है-

क्र0सं0	यूजर चार्ज दिये जाने वाले भवनों का प्रकार	परिषद की तरफ से प्रस्तावित दरें
1.	आवासीय भवन	रु0 -50 प्रति माह
2.	प्रत्येक दुकान	रु0 -100 प्रति माह
3.	व्यावसायिक कामप्लेक्स/गॉल	रु0 -1000 प्रति माह
4.	फैक्ट्री/अर्द्ध सरकारी भवन/संस्थान	रु0 -1000 प्रति माह
5.	निजी क्लीनिक(चिकित्सीय कार्य)	रु0 -1000 प्रति माह
6.	निजी नर्सिंगहोम (मेडिकल वेस्ट रहित सामान्य कूड़ा)	रु0 -1500 प्रति माह
7.	पैथालॉजी/एक्सरे/अल्ट्रासाउंड सेंटर(मेडिकल वेस्ट रहित सामान्य कूड़ा)	रु0 -1500 प्रति माह
8.	जलपान की दुकान/टी स्टाल	रु0 --200 प्रति माह
9.	रेस्टोरेंट	रु0 -2500 प्रति माह
10.	होटल/गैरिज हॉल/गेस्ट हाउस	रु0 -5000 प्रति माह
11.	बियर बार/शराब की दुकान	रु0 -1000 प्रति माह
12.	निजी विद्यालय	रु0 -1000 प्रति माह
12 (I)	जूनियर हाई स्कूल तक	रु0 -1000 प्रति माह
12 (II)	इन्टर कॉलेज/महाविद्यालय/अन्य समस्त विद्यालय	रु0 -2500 प्रति माह

अतः नागरिकों से अपील है कि यदि उपरोक्त परिषद की ओर से प्रस्तावित दरों पर किसी को कोई आपत्ति /सुझाव तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर नगर पालिका परिषद रायबरेली के स्वास्थ्य अनुभाग में किरीट कार्डदिवस में लिखित रूप से अपनी आपत्ति/सुझाव दे सकते हैं। निर्धारित समयावधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/सुझाव विचार नहीं किया जायेगा।

(आनन्द मिश्रा)

अधीशारी अधिकाारी

नगर पालिका परिषद रायबरेली

(पूणिमा श्रीवारतव)

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद रायबरेली

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी जनपद रायबरेली महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अपरजिलाधिकारी (वि0 एवं रा0/प्र0अधि0स्था0निकाय) रायबरेली।
3. जिला विज्ञान सूचना केन्द्र रायबरेली।

4. श्री अमित श्रीवारतव को इस आशय से कि नगर पालिका परिषद रायबरेली की वेबसाइट पर सरासरी अपलोड कर
5. नगर पालिका परिषद के सूचना पट पर चस्पा हेतु।
6. विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र (1) आनन्द टाइम्स(2) राष्ट्रीय लहरा को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में उचित स्थान पर करा कर आर0ओ0 सहित 05 अतिरिक्त प्रतियों के साथ भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें।

(आनन्द मिश्रा)

अधीशारी अधिकाारी
नगर पालिका परिषद रायबरेली